237 (3) लोक उद्यम विभाग के कर्मचारियों के लिए मृत्यु–सह–सेवानिवृत्ति उपदान

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में इस विभाग के तारीख 20.10.1997 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के अनुसरण में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उपदान (संशोधन) अधिनियम, 1998 के अनुसरण में, सरकार ने उपदान की सीमा बढ़ाकर 3.50 लाख रूपये करने का निर्णय लिया है। उपदान संदाय अधिनियम, 1972 की धारा 4 की उपधारा 3 में संशोधन के अनुसरण में ''एक लाख'' शब्द के स्थान पर'' तीन लाख पचास हजार'' प्रतिस्थापित करने का निर्णय लिया गया है। यह 24 सितम्बर, 1997 को लागू हुआ माना जाएगा।

2. प्रशासकीय मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे अपने प्रशासनिक नियंत्रण के तहत लोक उद्यमों के ध्यान में पूर्ववर्ती अनुदेशों को सूचना और अनुपालन के लिए लाएं।

(लो.उ.वि. का 27 जुलाई, 1998 का कार्या. ज्ञापन सं. 2(9)/95–डी पी ई (डब्ल्यू सी)